ISO-9001:2008

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था

प्रीत विहार, दिल्ली रोड, हापुड़

Mobile No.: 7060402028, 7302671777

E-mail : hpda_1@rediffmail.com I www.hpdaonline.in

"सुनियोजित विकास, आपकी आशा-हमारा ध्येय   जल संचय-जीवन संचय"

कार्यालय, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

मूल्य रू0 1000/-

ISO-9001:2008

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

की

आनन्द विहार आवासीय योजना के ब्लॉक-एल (कलैक्ट्रेट के निकट)

नीलामी

के माध्यम से

ग्रीन आर्केड (कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स)

में दुकानें प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर

UP RERA NO. UPRERAPRJ339207

पंजीकरण दिनांक 25-04-2022 से 24-05-2022 तक

विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र

PROSPECTUS AND APPLICATION FORM

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण
Hapur-Pilkhuwa Development Authority

ISO-9001:2008

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की आनन्द विहार आवासीय योजना में प्रस्तावित ग्रीन आर्केड (कार्मेशियल कॉम्पलैक्स) में दुकानों को नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें:

1. पात्रता:

(i) दुकान हेतु कोई भी व्यक्ति/संस्था जिसका विधिक अस्तितव हो, नीलामी में भाग ले सकता है। दुकानों का आवंटन फ्री-होल्ड आधार पर किया जायेगा। फ्री-होल्ड आधार पर निस्तारण के समय प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अधीन होगा।

(ii) आवेदक /बोलीदाता आवेदन पत्र के साथ विवरण पुस्तिका में संलग्न प्रारूप पर इस आशय का नोटराइज्ड शपथ पत्र संलग्न करेगा कि उसकी हैसियत ऐसी है कि वह बोली मे सफल होने पर सम्पत्ति के आवंटन के फलस्वरूप अपेक्षित भुगतान करने में सक्षम है।

(iii) प्रस्तावित कम्पनियों, गैर पंजीकृत फर्म तथा ज्वाइन्ट हिन्दु फेमिली के नाम सम्पत्ति विक्रय नहीं की जायेगी। ऐसा पाये जाने पर दुकान का विक्रेय विलेख व्यक्ति/व्यक्तियों के पक्ष में व्यक्तिगत रूप से निष्पाष्दित किया जायेगा भारतीय कम्पनी अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म/कम्पनियां नीलामी में भाग लेने अधिकृत है।उक्त फर्म/कम्पिनयों के पक्ष में दुकान का विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया जायेगा। एक बार आवंटन के बाद फर्म /कम्पनी का नाम परिर्वतन अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) योजना व्यक्तियों/ बिल्डरों/कम्पनियों/फर्मो हेतु खुली है।

(v) किसी भी व्यक्ति /फर्म/संस्था/कम्पनी को बोली में भाग लेने हेतु अनुमति तब दी जायेगी जब वह विज्ञापन में प्रकाशित धरोहर राशि जमा कराकर पंजीकरण करा लेगा। पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र केनरा बैंक एच.पी.डी.ए. शाखा व आई.सी.आई.सी. आई. बैंक गढ़ रोड़ शाखा, हापुड़ से रू0 1000 के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है।

2. नीलामी:

(i) दुकान नीलामी के द्वारा आंवटित की जायेगी। नीलामी का समय, स्थान एवं तिथि राष्ट्रीय सामाचार पत्रों/हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित की गयी है। बोलीदाता विवरण पुस्तिका में दी गई तालिका में निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि उपाध्यक्ष, हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय एवं हापुड़ में भुगतान योग्य हो अथवा आर.टी.जी.एस./आनलाईन जमा करने के पश्चात नीलामी में भाग ले सकते है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती हैकि वह बोली से पूर्व स्थल आदि का निरीक्षण कर लें। नीलामी के उपरान्त किसी भी तरह की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) कम्पनी/सोसाइटी/फर्म द्वारा आवेदन करने पर आवेदनकर्ता को मेमोरन्डम ऑफ आर्टिकल एवं रिजोल्यूशन लेटर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने हेतु आर्थोटी लेटर भी संलग्न करना होगा।

(iii) यदि किसी आवेदक द्वारा स्वयं बोली में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधि इस निमित्त अधिकृत किया जाता है तो उसे विवरण पुस्तिका में संलग्न प्रारूप पर प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iv) उपाध्यक्ष, हापुड़ -पिलखवा विकास प्राधिकरण को किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उपाध्यक्ष का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। उपाध्यक्ष /नीलामी अधिकारी सभी दुकान अथवा किसी भी एक दुकान की नीलामी प्राधिकरण हित/जनहित में स्थगित कर सकते है।

(v) सफल आवेदक को उच्चतम स्वीकृत मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि कोसमायोजित करते हुए) आंवटन पत्र की दिनांक से 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि में धनराशि जमा न करने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जोयगी।

(vi) उच्चतम बोलीदाता, जिसकी बोली उपाअध्यक्ष हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर ली गयी हो, को शेष राशि का भूगतान प्लान-ए अथवा प्लन-बी, जिसे वह चुने, द्वारा करना होगा।

Terms and conditions for allotment of shops in and vihar Scheme through Auction of Hapur-Pilkhuwa Development authority

1. WHO CAN APPLY :

(i) For shop any person competent to contract having juristic personality may apply for allotment of the aforesaid property on a free hold basis in proposed auction sale. Free Hold Rights shall be subject to effective building by laws.

(ii) Applicant/Bidder shall have to submit a notarised affidavit on prescribed poforma given in brochure in respect that he is efficient to deposit the required amount of money regarding cost of property if his bid is accepted.

(iii) Bid on behalf of proposed company, unregistered firms, societies and joint Hindu family shall not be allowed. However the companies and firms duly registered under Indian company's Act Registered of firms and societies are eligible to participate in the auction sale to get the sale deed executed in their favour. Name change will not be permissible after the allotment.

(iv) The scheme is open for individuals, builders, companies/firms.

(v) No person shall be permitted to participate in the auction unless he deposits token money (Earnest Money) published in the advertisement and get himself registered by filling an application form available at the Canara Bank, HPDA campus, ICICI Bank, Garh Road Branch, Hapur on payment of Rs. 1000

2 AUCTION

(i) An open auction is to be held for allotment fo Shops the time, place and date has been published in National News Paper/HPDA. Website. The bidder can take part in the auction after depositing the prescribed earnest money given in the table though bank draft pledged in favour of Vice Chairman, Hapur-Pilkhuwa Development Authority, payble at Hapur of Through R.T.G.S./ Online Bidders are advised to inspect the site, objection of any kind subsequent to the auction will not be entertained later on.

(ii) If bidder is other than the individual it is essential to submit the relevant papers/ the memorandum of articles, resolution letter of company/society/trust etc. & the representative should have authorisation letter for bidding the same.

(iii) If any applicant authorises his representative for bidding in place of himself/ herself, then submission of authority letter on prescribed proforma given in brochure is manadatory.

(iv) Vice Chairman, HPDA reserves the right to accept or reject any bid and his decision will be final. Vice Chairman/Auction Officer, HAPDA may postponed the auction for anyone of all Shops in the interest of Authority or in public interest.

(v) 25% of total bid amount (including earnest money already deposited)must be deposited by highest bidder within 15 days from the date of allotment letter incase of default earnest money deposited by the bidder shall be forfeited.

(vi) The successful bidder, i.e. whose bid is accepted by th Vice Chairman, HPDA shall deposit the bid amount through bank draft/pay order in favour of Vice Chairman, HPDA as per plan given. Bidder can adopt anyone payment plan.

(vii) दुकानों की नीलामी आरक्षित दर से अधिक से आरम्भ की जायेगी।

(viii) नीलामी में प्राप्त सर्वोच्च दरों पर भूमि के मूल्य का 12 प्रतिशत लीज रेन्ट व फ्रीहोल्ड चार्ज जोड़कर संपत्ति का मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

(ix) नियमानुसार जी.एस.टी. जो वर्तमान में 12 प्रतिशत है आवंटी को वहन करना होगा।

(xi) पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि से तीन माह के अन्दर पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के आवेदक को वापस कर दी जायेगी।

(xiii) आवेदन कर्ता एक ही तल पर एक ही पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष उस तल की समस्त दुकानों की नीलामी में इस प्रतिबंध के साथ प्रतिभाग कर सकते है कि वह किसी भी दुकान के लिए उच्चतम बोलीदाता में न हो।

3. भुगतान योजना:

प्लान-ए

ए-1 नीलामी से पूर्व निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर तालिका के अनुसार।

ए-2 कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि(धरोहर राशि समायोजित करते हुए) आवंटन पत्र की दिनांक से 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी।

ए-3 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवेदन पत्र की तिथि से 60 दिन के अन्दर जमा कराने पर 5 प्रतिशत की छुट अनुमन्य होगी।

प्लान-बी

बी-1 नीलामी से पूर्व निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर तालिका के अनुसार जमा कराना होगा।

बी-2 कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि(धरोहर राशि समायोजित करते हुए) आवंटन पत्र की दिनांक से 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी।

बी-3 अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवेदन पत्र की तिथि से 8 तिमाही किश्तो में बिना ब्याज के सहित जमा करनी होगी।

(iv) प्लान बी के अन्तर्गत किश्त की निर्धारित देय तिथि के उपरान्त 12 प्रतिशत वार्षिक पेनल ब्याज देय होगा।तीन माह की अवधि तक भुगतान ना करने की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जोयगा। एवं जमा धनराशि ब्रोशर की धारा 7.0 के अनुसार वापिस की जायेगी।

(v) तालिका में अंकित दुकानों का क्षेत्रफल अनुमानित है, जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जायेगी, उसे आवंअटित दुकान के क्षेत्रफल में 10प्रतिशत तक या अधिक भिन्नता को स्वीकार करना होगा।उच्चतम बोली के आधार पर दुकान का मूल्य क्षेत्रफल के अनुसार घट या बढ़ सकता है इसी के अनुसार आवंटी को भूखण्ड के मूल्य का भुगतान करना होगा।

(vi) आवंटी द्वारा दुकान को बंधक रखकर ऋण प्राप्त किये जाने में हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण को काई आपत्ति नहीं होगी, परन्तु आवंटी को दुकान को बंधक रखने हेतु हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी। बंधक रखने की प्रक्रिया में हुए व्यय को आवंटी द्वारा वहन करना होगा।

(vii) यदि किसी कारणवश प्राधिकरण दुकान का कब्जा देने में सक्षम नहीं होता है तो विकल्प के रूप में अन्य दुकान का प्रस्ताव दिया जा सकता है या आवंटी द्वारा जमा समपूर्ण धनराशि पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बचत खाते पर दिये जाने वाली ब्याज की दर से नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ जमा धनराशि वापिस कर दी जायेगी।

(viii) समस्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से आई.सी.आई.सी.आई बैंक गढ़ रोड, शाखा, हापुड़ में प्रत्येक कार्य दिवस में प्रात: 10.00 बजे से 4.00 बजे तक जमा किये जा सकते है। ड्राफ्ट/पे-आर्डर उपाध्यक्ष हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के पक्ष में एवं हापुड़ में देय होना चाहिए।

(vii) The auction for shops will be started above the reserved price

(viii) 12% free hold charges of land value will comprise the shop price.

(ix) 12% GST will be paid by applicant as per rule

(x) In case of non receipt of sufficient number of application, with in 3months from the last date of receipt of applications registration amount will be refunded to the applicant without interest .

(xi) The applicant is eligible for this in the auction of all the shop on that all floor against the same registration amount the same floor. Participation with restriction can not be the highest bidder for any shop.

3.0 PAYMENT PLAN :

Plan-A

A-1 The draft/bank pay-order fo the earnest money before the Auction as per table.

A-2 25% of total amount (including earnest money) must be deposited within 15 days from date of allotment.

A-3 Balance 75% amount-within 60days without interest from the date of allotment letter with 5%replace.

Plan-B

B-1 The bank draft/pay-order of the earnest money before the auction as per table.

B-2 25% of total amount (including earnest money) must be deposited within 15 days from date of allotment.

B-3 Balance 75% amount in 8 quarterly installments without interest from the date fo allotment letter.

(iv) After the expiry of due date, penal interest @ 12%per annum, shall be charged on due amount of installment However if due amount with penal interest is not paid within a period of 3 months from the expiry of due date, the allotment shall be cancelled and money deposited shall be refunded as per clause 7.0 of this brochure .

(v) The size of the shop announced by the HPDA being only approximate, the bidder whose bids are accepted shall have to accept variation up to 10% or more either way in the are of the shop, subject of course, to proportionate increase or decrease on auction sale price of the purpose of the payments. The auction price for all purposes shall be calculated by multiplying the highest, auction bid by the total area of the shop actually made available consequent upon acceptance of the bid.

(vi) The HPDA will have no objection to the bidder raising loan against the shop. In that case the bidder will execute a tripartite agreement and HPDA may permit mortgage of the proverty in question as may be deemed fitand necessary for raising loans by the bidder. However, all expenses for any such conveyance shall be borne by the bidder.

(vii) If authority can not deliver possession of shop due to any circumstances, as an alternative, the HPDA can offer another shop as an option or, as per rule, total amount deposited by the allottee will be refunded with simple interest.

(viii) All payment s Bank Drafts/ Pay Order/ RTGS may be deposited in ICICI Bank, Garh Road, Branch, Hapur, in favour of Vice Chairman Hapur Pilkhuwo Development Authority, Hapur from 10:00am to 4:00pm on all working days.

4. विक्रय विलेख एवं फ्री होल्ड अधिकार का निष्पादन:

(i) दुकानों का कब्जा आवटंन से दो वर्ष में दिया जाना प्रस्तावित है।

(ii) आवंटी को अपने खर्चे पर दुकान का विक्रय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर सूचित करने की तिथि से 3 माह के अन्दर करना होगा।

(iii) उक्त सम्पत्ति, उच्चतम बोलीदाता को हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण आवंटी के रूप में प्रदान की जायेगी जो कि हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के द्वारा आवंटी के पक्ष में निर्धारित प्रपत्र पर किये विक्रय विलेख में निहित नियमों व शर्तो के अधीन रहेगी।

(iv) आवंटी को दुकान को उप-विभाजित करने का अधिकार नहीं होगा।

(v) दुकान का उपयोग मास्टर प्लान एवं विक्रय विलेख में निर्धारित के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। नीलामी हेतु प्रस्तावित भूखण्डो का भू-उपयोग विवरण पुस्तिका में दी गयी तालिका में अंकित है।

(vi) आवंटी कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से समय-समय पर लागू होने वाली समस्त म्यूनिसिपल कर तथा अन्य कर जो सरकारी व किसी स्थानिय निकाय द्वारा समय-समय पर प्रवृत नियमों, उप-नियमों या उपविधियों के अन्तर्गत पारित किये जायेगें, का भुगतान करने के लिए स्वयं उत्तदायी होगें।

(vii) दुकान की देयता के विरूद्ध बकाया धनराशि को वसूल करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को है। प्राधिकरण उक्त धनराशि की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाया की भांति रिकवरी सार्टिफिकेट जारी कर वसूली कार्यवाही कर सकता है।

(viii) किसी भी प्रकार की गलत सूचना या तथ्य छिपाकर दुकान आवंटित होने की जानकारी होने पर किसी भी नियम एवं शर्तो का उल्लघंन करने पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं भूखण्ड तथा उस पर निर्मित भवन का कब्जा प्राधिकरण के द्वारा वापिस ले लिया जायेगा। इस प्रकार के प्रकरणों में किसी भी प्रकार की धनराशि वापिस नहीं की जायेगी।

(xi) निर्धारित विशिष्टयों/मानकों के अनुसार जल आपूर्ति,सीवर, ड्रेनेज एवं विद्युत आपूर्ति की लाईन दुकान की सीमा तक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जायेगी। दुकानों मे आन्तिरक साजसज्जा आवंटी को स्वयं करना होगा।

5. स्टाम्प एवं अन्य शुल्क:

दुकान का रजिस्टर्ड अनुबंध/विक्रय विलेख निष्पादित कराने में स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं अन्य शुल्कों का भुगतान आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा। आवंटी द्वारा अचल सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने का शुल्क राज्य सरकार, नगर निगम या अन्य कोई शुल्क जो किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा आरोपित किया जायेगा, स्वयं भुगतान करना होगा।

6. अन्य महत्वपूर्ण शर्ते:

(i) यदि आवंटी निर्धारित तिथि को दुकान का विक्रय विलेख/ कब्जा नियत अवधि में निष्पादन/ प्राप्त नहीं कर सकता है तो निर्धारित तिथि से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर चौकीदारा शुल्क आवंटी द्वारा देय होगा।

(ii) दुकान में किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जायेगा। यदि अनाधिकृत निर्माण पाया जाता है तो अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध विधिसम्मत नियम व सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण/सील कार्यवाही की जायेगी।

4.0 EXECUTION OF SALE DEE & FREE HOLD RIGHTS:

(i) The possession of the shops is proposed to be given within 2 years from the allotment.

(ii) The allottee will have to get the sale deed executed at his own cost at the proforma fixed by the authority within three months from the date of informed.

(iii) The aforesaid property shall be held by the bidder as the allottee of the HPDA on the terms and conditions prescribed by the authority as contained in the sale deed to be executed by the bidder/allottee.

(iv) Allottee shal not be entitled to sub-divide the shop.

(v) The shop shall not be used for any purpose other than specified in the agreement executed by HPDA. The land use of the proposed plots in the auction as mentioned in the table of the brochure.

(vi) The bidder or his allottee shall be liable to pay rates, taxes, charges and assessment of every assessment of every description plot/building whether assessed, charged or imposed on that plot or on the building construction.

(vii) The authority reserves the right to recover balance amount due against the shop. Any money due to the HPDA from the bidder or his allottee of the aforesaid property shall be recoverable as pe arrears of land revenue from the bidder or his nominee by issuing the Recovery Certificate

(viii) If it is disclosed that the sale deed of the shop/property has been obtained by suppression of any fact or mis-statement or misrepresentation or fraud or if there is any breach of the conditions of the sale deed, the sale deed will be cancelled as also the possession of the property and the building there on will be taken over by the authority, and the bidder will not be entitled to any compensation whatsoever nor for refund of any premium by him.

(ix) The water supply sewerage, drainage and electricity lines as per specification and standard shall be provided up to boundary of the property by HPDA . The internal work shall be completed by the bidder himself.

5.0 COST OF STAMP DUTIES :

The cost and expenses of preparation, stamp and registration for the agreement/sale deed and its copies and all other incidental expenses shall be paid by the bidder. The bidder or his allottee shall pay the duty of transfer of immovable property levied by the municipal corporation or any duty of charges as my be lived by any other Authority.

6.0 OTHER IMPORTANT CONDITIONS :

(i) If the allottee does not execute sale deed/ not take possession of the shop within due date of sale deed/ possession then he shall pay chaukidari charges.

(ii) Any unauthorized construction by the auction purchaser on the allotted shop liable to demolished in accordance with the law in force.

(iii) बिजली एवं पानी इत्यादि कनेक्शन आवंटी अपने को खर्च पर लेने होगें।

(iv) भूमि सम्बन्धी अधिकार अर्जन सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत किये जाते है एवं दुकान आवंटित करते समय प्राधिकरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा किये गये अभिनिर्णय (अवार्ड) के आधार पर दुकान प्रीमियम मूल्य एवं लीज रेन्ट निर्धारित किया गया है परन्तु यदि भविष्य में न्यायलय द्वारा किसान का देय प्रतिकर तोषण(सोलेशियम) एवं इस मद में ब्याज की वृद्धि के आदेश किये जाते है तो संस्था को हुई वृद्धि के आदेश किये जाये तो संस्था को हुई वृद्धि पर हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार दिये गये मांग पत्र की सुचना प्राप्ति के तीन महीने अन्दर अदायगी करनी होगी। इसमे असफल रहने पर यह राशि भू-राजस्व की वसूली की भांति संस्था से वसूल किया जायेगा।

(v) नीलामी आवंटन, मानचित्र स्वीकृति, निर्माण आदि से सम्बन्धित किसी भी विवाद एवं अन्य किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में उपाध्यक्ष हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(vi) किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में केवल हापुड़ न्यायालय को ही न्याय क्षेत्र का अधिकार होगा।

(vii) विवरण पुस्तिका के किसी भी नियम /शर्त पर विवाद की स्थिति में हिन्दी भाषा में अंकित नियम व शर्ते मान्य होगी।

7. समर्पण एवं निस्तीकरण :

यदि उच्चतम बोलदाता आवंटन पत्र जारी होने से पूर्व समर्पण करता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

यदि आवंटी आवंटन पत्र जारी होने के बाद आवंटन समर्पण करता है तो उस स्थिति में धरोहर राशि जब्त करते हुए अवशेष जमा धनराशि पर 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस की जायेगी।

नियम व शर्तो के उल्लघंन की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा निरस्तीकरण किये जाने पर सम्पूर्ण धरोहर राशि जब्त किये जाने के अतिरिक्त शेष जमा धनराशि पर 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

नोट :

बोलीदाता को किसी व्यक्ति/कम्पनी/सोसायटी को सम्पति के विक्रय विलेख करने से पूर्ण फ्री होल्ड, स्टाम्प शुल्क, सामुहिक सेवाओं के रख-रखाव एवं मरम्मत तथा सोसाइटी/सोसाइटियां बनाने हेतु शर्तो का समावेश करना होगा। हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण बोलीदाता एवं उसके आवंटी के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद में न तो हस्तक्षेप करेगा एवं न ही जिम्मेदार होगा।

(iii) Electricity and water connection will be liability of allottee.

(iv) The land right have given to HPDA under land acquisition Act. Authority has fixed the cost of shop on the basis of to the award declared by the SLAO. But if in future, by any Court's order or in any circumstance the amount of compensation is revised then it will be loaded at the shop and the allottee will have to pay it within 3 months from the demand raised by the authority . If the allottee fails to pay the enhance amount it may be recovered as the arrears of land revenue.

(v) Decision of the Vice Chairman , Hapur-Pilkhuwa Development Authority will be final in every matter related to the bid/sanction of building plans constructions etc. related to any other matter.

(vi) Hapur Court's will have exclusive jurisdiction for adjudication of disputes with regard to his office.

(vii) In case of any dispute regarding terms & conditions mentioned in brochure, the terms & conditions mentioned in hindi language will prevail.

7.0 CANCELLATION/SURRENDER:

Note :

(i) If the higher bidder surrender before allotment latter than the earnest money deposited by the bidder shall be forfeited.

(ii) If the allotted surrender the allotted property than the earnest money deposited by the allotted shall be forfeited with 10% deduction from rest deposited money and balance amount shall be refunded to the allotted without any interest.

(iii) In case of violation of teh terms and conditions, if the plot is canceled by authority then total amount of earnest money shall be forfeited with 10% deducted from the rest deposited money and balance amount shall be refunded to be allotted with any interest .

1. The bidder shall be required to incorporate all condition of freehold, stamps, repair, maintenance and running of common services and conditions for forming society/socienties etc. In sale agreement to any individual /company/societies etc. before recommending the name of such allottees about paying registration charges and maintenance etc. before selling the flats in the building HPDA will neither entertain nor shall be responsible for any disputes between bidder and his allottee.

उपाध्यक्ष
हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

Vice Chairman
Hapur- Pilkhuwa Development Authority

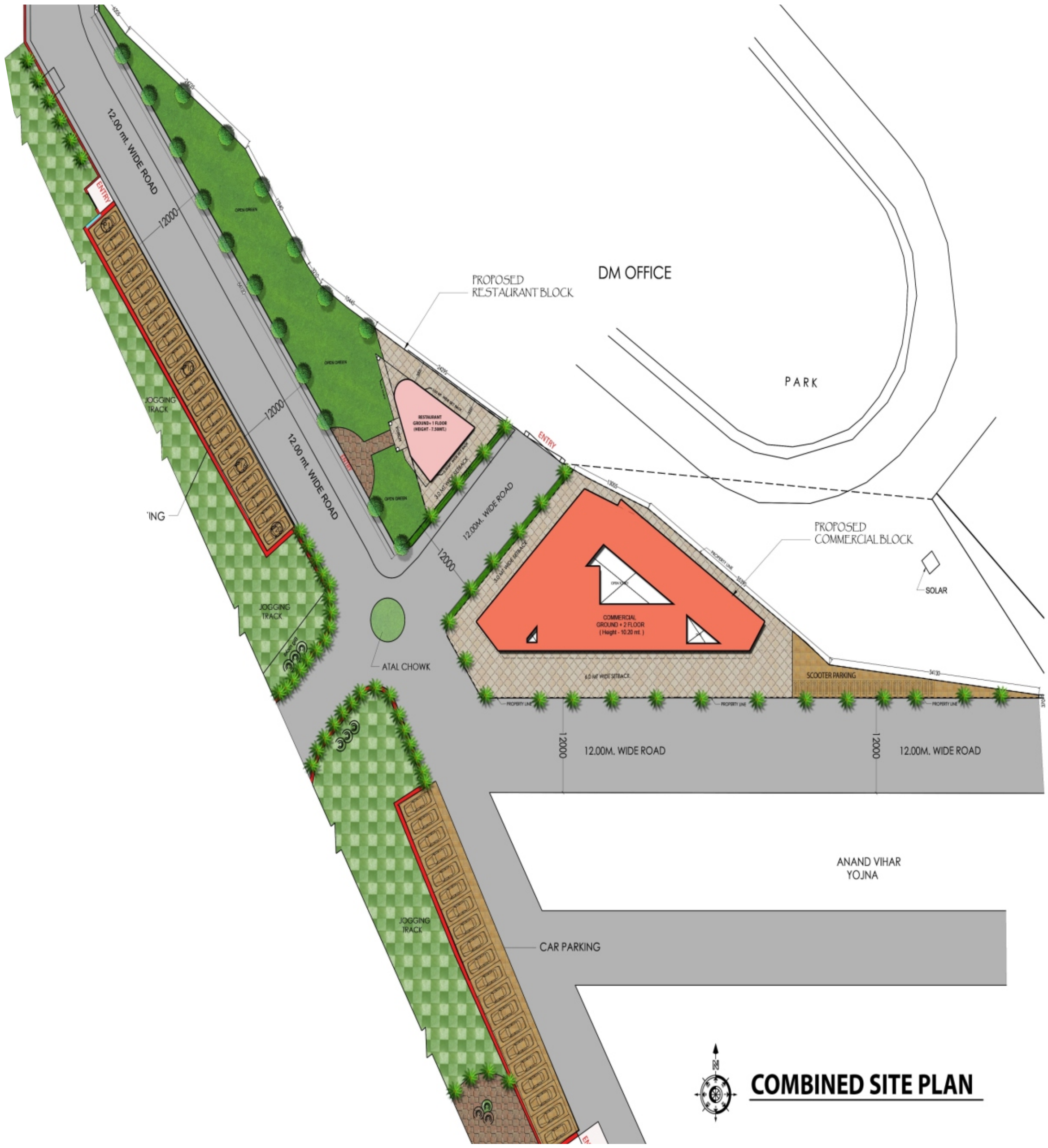
12.00 mt. WIDE ROAD
12000
ENTRY
JOGGING TRACK
ING
PROPOSED
RESTAURANT BLOCK
DM OFFICE
PARK
ENTRY
12.00M. WIDE ROAD
12000
PROPOSED
COMMERCIAL BLOCK
SOLAR
ATAL CHOWK
SCOOTER PARKING
12.00M. WIDE ROAD
12.00M. WIDE ROAD
ANAND VIHAR
YOJNA
CAR PARKING
COMBINED SITE PLAN

SECOND FLOOR PLAN

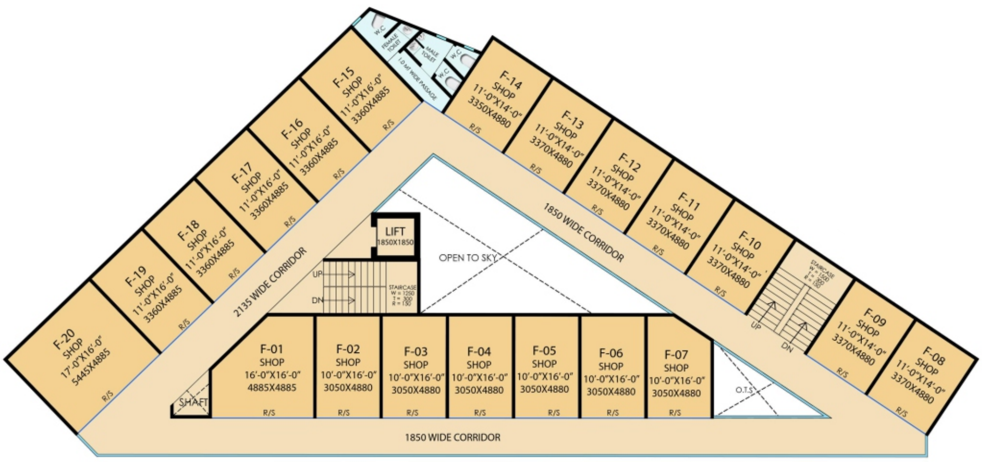

FIRST FLOOR PLAN

6.0 MT WIDE SETBACK

GROUND FLOOR PLAN

सम्पत्ति का विवरण:-

क्र.स.	योजना का नाम	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का प्रकार	कॉरपरेट एरिया वर्ग फुट	आरक्षित मूल्य (रू0 लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रू0 लाख में)
1	आनन्द विहार योजना के एल पॉकेट में (Green Arcade) कमर्शियल कॉम्पलैक्स	15	प्रथम तल	एफ-6	160	12.95	1.50
				एफ-7	148	11.98	
				एफ-8 से एफ- 14 तक	154	12.46	
				एफ-15 से एफ-20तक	176	14.24	
2		20	द्वितीय तल	एस-1	220	17.8	1.50
				एस-2 से एस-6 तक	160	12.95	
				एस-7	148	11.98	
				एस-8 से एस-14तक	154	12.46	
				एस-15 से एस-20 तक	176	14.24	

NEFT/RTGS/ONLINE PAYMENT DETAILS:-

1	Name of Bank	ICICI Bank, Garh Road, Hapur
2	Account Number	245801000260
3	IFSC	ICIC0002458
4	Name of Account Holder	Vice Chairman, HPDA
5	RTGS	
6	Amount	
7	UTR No.	
8	Name of Aplicant & form No.	

शपथ पत्र

समक्षः
उपाअध्यक्ष
हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़

मै

पुत्र/पुत्री/पत्नि

जन्म तिथि .... आयु .... वर्ष (लगभग)

निवासी ....

निम्नलिखित शपथ पुर्वक बयान करता /करती हूँ

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम एवं पता सब सही है।
2. यह है कि मैं हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक .... को नीलाम किये जा रहे भूखण्ड/दुकान/भवन संख्या.................................... योजना ....
3. यह है कि मै बोली सफल होने पर सम्पत्ति आवंटन के फलस्वरूप अपेक्षित भुगतान करने में सक्षम हूँ

यह है कि उपरोक्त शपथ पत्र की सभी धारायें मेरे निजी ज्ञान और विसवाश में सब सत्य है कोई कथन असत्य नहीं है। कोई भी सूचना असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूंगा/ हूंगी।

स्थान : ....

दिनांक: .... हस्ताक्षर शपथकर्ता

(नोट: शपथ पत्र रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित कराकर संलग्न किया जाये)

हापुड़ - पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा
प्रस्तावित नीलामी में बोली लगाये जाने हेतु प्राधिकरण पत्र

प्राधिकृत व्यक्ति
का फोटो

सेवा में,
नीलामी अधिकारी
हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़

महोदय,

मैने हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक .... कों नीलामी किये जा रहे भूखण्ड/दुकान/भवन संख्या .... योजना .... हापुड़ की नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन किया है।

किन्हीं कारणो वश मै उक्त नीलामी में स्वयं भाग नहीं ले पा रहा/रही हूं। अत: उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु मै
श्री/कु./श्रीमति ....
पुत्र/पुत्री/पत्नि ....
आयु .... वर्ष (लगभग) निवासी ....
को जिनके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किये गये है, को नीलामी में बोली देने हेतु अधिकृत करता/करती हूं। मेरे अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जो भी बोली दी जायेगी वह मुझे पूर्णतया मान्य होगी।

भवदीय,

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर :
नाम :
पता :

हस्ताक्षर प्रमाणित

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण
Hapur-Pilkhuwa Development Authority

ISO-9001:2008

आनन्द विहार योजना के ब्लॉक एल में(ग्रीन आर्केड) कामर्शियल कॉम्पलेक्स मे नीलामी द्वारा दुकानो के आवंटन हेतु आवेदन - पत्र

APPLICATION FORM FOR ALL ALLOTMENT OF SHOPS BY AUCTION IN COMMERCIAL COMPLEX IN ' L' BLOCK ANAND VIHAR YOJNA

आवेदक पत्र संख्या ....

Application Form No.

1. आवेदक का नाम ....
   Name of the Applicant (in bloeck letter)
2. पिता/पति का नाम ....
   Father/Husband's Name
3. बोली स्वयं या कम्पनी, सोसायटी, फर्म, या ट्रस्ट के लिए दी जा रही है।
   ए. यदि बोल कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट के लिए दी जा रही हो तो उक्त कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट में ओवदक का पद एवं बोली दिये जाने हेतु एथोरिटी लैटर नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा।
   (a) If is big offered for company, society, firm of trust, the status of person in that company, society, firm or trust and authorization letter should be produced.
   बी. यदि बोल कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट के लिए दी जा रही हो तो उक्त कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट का निबन्धन प्रमाण पत्र भी नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा।
   (b) If is big offered for company, society, firm of trust, its registration letter should be produced.
4. उम्र ....
   Age :..
5. पूरा पता ....
   Full Address :

. ए. स्थायी पता ....

Permanent Address :

. बी. पत्र व्यवहार का पता ....

Correspondence Address:

. सी. टेलिफोन नं0 .... मोबाइल नं. .... ई-मेल ....

Telephone No. .... Mobile No.. E-mail ....

6. ए . व्यवसाय ....

Occupation:

बी. भुगतान प्लान का विकल्प ....

Paymetn plan adopted

सी. आवेदिन सम्पत्ति का विवरण ....

Particulars of Property

1.सम्पत्ति संख्या.. 2. सम्पत्ति का क्षेत्रफल ....

Property No. 2. Area of Property (sq.mts.)

3. योजना एवं ब्लॉक/सैक्टर ....

Name of the colony & sector

डी. नीलामी का विवरण

1. नीलामी की तिथि ....

Date of Auction

2. जमा धरोहर राशि का विवरण ....

Details of earnest money deposited

3. हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की रसीद संख्या .... दिनांक ....

HDPA's receipt No. Dated

मैं अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैने इस नीलामी में एक आवेदक के रूप में अपने/अपनी कम्पनी/संस्था/फर्म/ट्रस्ट की और से उक्त सम्पत्ति के नीलामी द्वारा आवंटन किये जाने हेतु हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के नियम एवं शर्तो के अन्तर्गत आवेदन किया है। मैने उक्त नीलामी हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका मे उल्लिखि सभी नियम एवं शर्तो को भली प्रकार पढ़ एवं समझ लिया है एवं मै इन सभी नियम व शर्तो से सहमत हूँ। मैं अवशेष मूल्य की धनराशि एवं अन्य धनराशि प्रोफार्मा पर निर्धारित शर्तो के अधीन जमा करते हुए अपने स्वयं के व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय में सम्पत्ति का विक्रय विलेख निष्पादिन कराउगा।

I the Undersigned being one of the applicants in the auction, as mentioned above and hereby apply on my behalf/on behalf of the applicant above name to the Hapur-Pilkhuwa Development Authority, Hapur for allotment of the property described above, under the Hapur-Pilkhuwa Development Authority rules. I have read and understood all the conditions mentioned in brochure of tender and hereby unequivocally accept the same. I the intending purchaser(s) will pay balance of the cost and other amounts and be with executed with the sale deed in the prescribed from in accordance with the said conditions at my own cost within such period as may be decided the Authority.

दिनांक ....
Date

आवेदक के हस्ताक्षर ....
signature of the bidder

पदनाम ....
On his/her own behalf/on behalf of the applicatnt

प्रतिहस्ताक्षरित ....
Countersigned byate

(नलामी अधिकारी)
Officer conducting auction
(नलामी अधिकारी) (नोट:- धारा 1(iii) के अनुसार शपथ -पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक हैं)

BANK DETAILS OF APPLICANT:

1	Name of Bank	
2	Account Number	
3	IFSC	
4	Name of Account Holder	